

मध्य प्रदेश शासन  
वित्त विभाग  
मंत्रालय

—:—

क० 1184/587/2017/ब-1/चार, भोपाल, दिनांक 29/12/2017  
प्रति,

- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
शासन के समस्त विभाग,  
मंत्रालय, भोपाल ।
2. समस्त बजट नियंत्रण अधिकारी,  
मध्यप्रदेश भोपाल ।


विषय:—वित्त वर्ष 2017-18 का बजट आवंटन एवं व्यय पर नियंत्रण के  
संबंध में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत कई विभागों द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 की  
प्रथम छःमाही में योजनाओं के अंतर्गत अव्ययित राशि की तृतीय त्रैमास  
में उपलब्धता एवं व्यय के संबंध में प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित किये  
जा रहे हैं । इस संबंध में निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट की जाती है :-

(1) प्रथम 6 माह हेतु निर्धारित सीमा (45 प्रतिशत)  
से कम व्यय होने पर इन माहों की शेष राशि तृतीय त्रैमास में  
उपयोग की जा सकेगी। प्रथम तीन त्रैमास की शेष राशि 30  
प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अधीन चौथे त्रैमास में व्यय की  
जा सकेगी।

(2) तृतीय त्रैमास में अनुपूरक अथवा पुनर्विनियोजन से प्राप्त  
राशि का अधिकतम 50 प्रतिशत व्यय किया जा सकेगा।

(3) जिन बजट लाईन में संपूर्ण राशि आहरित करने की छूट  
वित्त विभाग द्वारा प्रदान की गई है, उसी बजट लाईन में  
पुनर्विनियोजन स्वीकृत किया जाता है, तब पुनर्विनियोजित राशि  
के लिए भी छूट मान्य होगी ।

  
( अजय चौबे )

संचालक बजट  
मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग


पृ.क० ११६/५८७/२०१७/ब-१/चार,

//२//

भोपाल, दिनांक २९/१२/२०१७

प्रतिलिपि:-

१. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, भोपाल ।
  २. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, भोपाल ।
  ३. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर ।
  ४. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल ।
  ५. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर ।
  ६. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
  ७. महाधिवक्ता / उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल / इंदौर / ग्वालियर
  ८. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/आडिट) १/२ म.प्र.ग्वालियर/भोपाल
  ९. आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश ।
  १०. आयुक्त, जनसम्पर्क, संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल ।
  ११. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल
  १२. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश ।
  १३. समस्त कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश ।
  १४. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

  
अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग